(70)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 319–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–01–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार ग्वालियर, प्रकरण कमांक 263/2004–05/अ–76

.....

श्रीमती चन्द्रकांता परमार पत्नी रामनरेश परमार
निवासी मकान नं. 397 परमार सदन तानसेन नगर,
जिला ग्वालियर.

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–राजेन्द्र लहारिया पुत्र भगवानदास लहारिया,
निवासी लहारिया भवन, नावकर नर्सिग होम के सामने,
गली में चौथे नम्बर का मकान, लोहिया बाजार,
लश्कर ग्वालियर.
2–तहसीलदार ग्वालियर.
3–खनिज अभियंता धौलपुर प्रदेश राजस्थान.

..... अनावेदकगण

.....

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक–आवेदिका
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका का मकान नम्बर 397 परमार सदन, तानसेन नगर के बिक्री की उद्घोषणा दिनांक 16–1–2015 को जारी की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि फर्म मै0गजानन्द एंड कंपनी के 95 प्रतिशत के भागीदारी राजेन्द्र लहारिया जो अनावेदक कमांक 1 के रूप में है एवं आवेदिका की भागीदारी एक प्रतिशत की थी। अनावेदक कमांक 1 सहित अन्य भागीदारों द्वारा जो 28 लाख रुपये की सोलवंशी जमा करना थी जिसमें से 21 लाख रुपये की सोलवंशी धौलपुर के पार्टनरों ने फर्जी जमा कराई गई थी, उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर 7 लाख की सोलवंशी बिना पार्टनर बने व्यवहारिकता में दे दी थी, परन्तु पार्टनरशिप में नहीं दी और न ही पार्टनरशिप में कही आवेदिका ने हस्ताक्षर किये है, इसलिये अनावेदक कमांक 1 ने कागजातों में एक प्रतिशत का दर्शाकर काम शुरू कर दिया । बाद में कंपनी होने की जिम्मेदारी आवेदिका की नहीं है ओर उससे 100 प्रतिशत राशि की वसूली नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि आवेदिका द्वारा पार्टनरशिप पर कोई भी हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं और न ही मैंने पार्टनरशिप का कोई हिस्सा लिया है मात्र विश्वास में लेकर सोलवंशी दे दी है इसी बात की सजा आवेदिका भुगत रही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका से 100 प्रतिशत ऋण की वसूली नहीं की जा सकती है, ऐसी स्थिति में आवेदिका की संपत्ति विक्रय करने की कार्यवाही करने में तहसीलदार द्वारा घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की जा रही है । उनके द्वारा तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि आवेदिका द्वारा सोलवंशी की राशि भुगतान नहीं की गई है इसलिये उसकी संपत्ति के विक्रय की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की जा रही है । तर्क में यह भी कहा गया कि अभी विक्रय की

उद्घोषणा जारी की गई है वहॉ आवेदिका अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश के पालन में ही वसूली की कार्यवाही की जा रही है । यदि आवेदिका को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । तहसीलदार द्वारा की जा रही वसूली की कार्यवाही हस्तक्षेप योग्य नहीं है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर